न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 29/2020

प्रार्थी– *बनाम* **अप्रार्थीगण–**

मोयब अली पुत्र सुरतान खां जाति मुसलमान निवासी नेगरड़ा (झांपली कला) तहसील शिव जिला बाड़मेर

1. अलफ पुत्र ईस्माईल जाति मुसलमान निवासी नेगरड़ा (झांपली कला) तहसील शिव जिला बाड़मेर
2. मुख्य प्रबन्धक, मैसर्स कीन्टेक सिनर्जी प्रा0लि0, पता–कीन्टेक हाउस, 8/9, सिवालिक प्लाजा, एएमए के सामने, आईआईएम मार्ग, अंबावाड़ी, अहमदाबाद (गुजरात)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध भूमि आवंटन आदेश दिनांक 10.07.1968 जिसके द्वारा मौजा कालीजाल के खसरा नम्बर 56/2 में अप्रार्थी सं. 1 को भूमि आवंटन की गई।

उपस्थिति :–
1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 2 व 3 प्रफॉर्मा पक्षकारान।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:35 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 01.09.2021

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य यह है कि भूमि आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक दिनांक 10.07.1968 के द्वारा कृषि भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में अप्रार्थी सं. 1 के नाम ग्राम

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कालीजाल के खसरा नम्बर 56/2 (वर्तमान खसरा नम्बर 108/56) रकबा 60–00 बीघा भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंषा एवं आवंटन आदेश के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत दिनांक 29.10.2020 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हैं।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस प्रक्कथन एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 अलफ पुत्र ईस्माईल ने खसरा नम्बर 56 वर्तमान खसरा नम्बर 108/56 मौजा कालीजाल रकबा 60–00 बीघा का आवंटन कपट व मिथ्या प्रवंचना कर अपने पक्ष में करवाया हैं जबकि अप्रार्थी सं. 1 अलफ के पास मौजा नेगरड़ा में खसरा नम्बर 28 व 61 में रकबा क्रमशः 47–03, 29–16 बीघा भूमि पूर्व से ही खातेदारी में मौजूद थी। अप्रार्थी सं. 1 उपर्युक्त भूमि धारित करने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आता हैं तथा आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा भी अप्रार्थी के भूमिहीन होने संबंधी तथ्य की जांच नहीं की गई। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा भूमि का आवंटन अपने पक्ष में कराये जाने के पश्चात कभी भी भूमि पर काश्त नहीं की तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम व कृषि भूमि आवंटन नियम की शर्तों का उल्लंघन किया हैं जिस कारण उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने पक्ष में जो भूमि आवंटन करवायी हैं उस पर कभी काश्त नहीं की हैं और अब उक्त खसरा नम्बर 56 वर्तमान में खसरा नम्बर 108/56 रकबा 60–00 बीघा को बिना व्यवसायिक व औद्योगिक प्रयोजन परिवर्तित किये बिना ही अप्रार्थी सं. 2 कम्पनी को किराये पर देने का प्रयास किया जा रहा हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा वक्त बहस यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 वक्त आवंटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर

नाबालिग था तथा उपर्युक्त उल्लेखित पैतृक भूमि में उसका नोशनल शेयर होने से भूमिहीन नहीं था तथा नाबालिग के पक्ष में कराया गया आवंटन निरस्त योग्य हैं। अतः अप्रार्थी सं. 1 द्वारा तथ्यों को छिपाकर मिथ्या प्रवंचना से प्रश्नगत आवंटन कराया गया हैं जो निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

4. अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आवंटन दिनांक 10.07.1968 को निरस्त करवाने हेतु करीबन 52 वर्षों के पश्चात असाधारण देरी से प्रस्तुत किया हैं जो चलने योग्य नहीं हैं। अप्रार्थी सं. 1 सुन्नी मुसलमान होने से मुस्लिम विधि से शासित होता हैं तथा मुस्लिम विधि के अनुसार पुत्र या पुत्री को अपने पिता के जीवनकाल में अपना हिस्सा व बंटवाड़ा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पत्ति जैसी कोई धारणा की गई हैं और न ही पैतृक सम्पति में पुत्र को अपने पिता के जीवनकाल में नोशनल हिस्सा प्राप्त होता हैं। अप्रार्थी सं. 1 को दिनांक 10.07.1968 करे जब अप्रार्थी सं. 1 अलफ को ग्राम कालीजाल के खसरा नम्बर 108/56 की रकबा 60–00 बीघा भूमि आवंटन किया गया था तब अलफ के नाम एक इंच खातेदारी भूमि नहीं थी तथा वह भूमिहीन होने से उक्त भूमि आवंटन हुई थी। अप्रार्थी सं. 1 को भूमि आवंटन हो जाने के पश्चात खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं जो समाप्त नहीं किये जा सकते हैं। अप्रार्थी ने आवंटन के समय किसी प्रकार की मिथ्या प्रवंचना नहीं की हैं तथा प्रार्थी भी अप्रार्थी सं. 1 के गांव का पडौसी हैं जिसे आलौच्य आवंटन की जानकारी होते हुए भी करीब 52 वर्षों बाद यह आवेदन पेश किया हैं जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया हैं। प्रार्थी का यह आवेदन प्रस्तुत करने का उद्देश्य मात्र अप्रार्थी सं. 1 को हैरान, परेशान व खर्च से बर्बाद करना है तथा प्रार्थी को अपनी व्यक्तिगत रंजिश से आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अप्रार्थी के जन्मतिथी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रकट किया कि वक्त आवंटन अप्रार्थी पूर्णतया बालिग था जो सद्भावी भूमिहीन

जिला कलक्टर बाड़मेर राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

काश्तकार होने से उसे आलौच्य आवंटन किया गया था जो पूर्णतया विधिअनुकूल उचित था तथा नियमानुसार आवंटन की समस्त शर्तों का पालन करने से उसे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो गये हैं। अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63(9) के तहत समाप्त नहीं किये जा सकते हैं क्योंकि उक्त क्लॉज संशोधन अधिनियम 1997 के द्वारा जोड़ा गया हैं जबकि आलौच्य आवंटन 1968 में होने से इस संशोधन का प्रभाव भूतलक्षी रूप से लागू नहीं किया जा सकता हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा इस आवेदन–पत्र में झूठी एवं मनगढत मौखिक कहानी की रचना कर पेश की गई हैं जो खारिज योग्य हैं। अतः प्रार्थी का यह आवेदन–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

5. हमने दोनो पक्षों की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि भूमि आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक दिनांक 10.07.1968 के दौरान कृषि भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में अप्रार्थी सं. 1 के नाम ग्राम कालीजाल के खसरा नम्बर 56/2 (वर्तमान खसरा नम्बर 108/56) रकबा 60–00 बीघा भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंषा एवं आवंटन आदेश के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत दिनांक 29.10.2020 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हैं। हस्तगत प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह हैं कि आवंटी अलफ द्वारा कपट या दुर्व्यपदेशन के द्वारा आवंटन कराया है, क्योंकि उसके पैतृक हिस्से में मौजा नेगरड़ा में खसरा नम्बर 28 व 61 में रकबा क्रमशः 47–03 व 29–16 बीघा भूमि खातेदारी के अन्तर्गत हिस्से में आती थी। इस संबंध में अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया गया कि हैं कि प्रथम तो अप्रार्थी सं. 1 सुन्नी मुसलमान है ... से मुस्लिम विधि से शासित होता हैं तथा मुस्लिम विधि में ... पिता के जीवनकाल में पुत्रों का नोशनल शेयर होने की कोई अवधारणा नहीं हैं। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र 52 वर्षों के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर राजस्थान

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जिस पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना विधिसंगत नही हैं। इस सबंध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर 2006–07(सप्ली.)आरआरटी 382 की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय राज0 की एकल पीठ द्वारा निर्धारित किया गया हैं कि "प्रार्थी को विवादित आराजी आवंटित हुए 35 वर्ष हो चुके हैं और इतनी लम्बी अवधि के उपरांत प्रार्थी का विवादित आराजी का आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं" इसी निर्णय नजीर में यह भी निर्धारित किया गया हैं कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63(9) 1997 में जोड़ी गई थी जिसे भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी नहीं किया जा सकता।" इस प्रकार उक्त दृष्टांत के बल से प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र क्षीण नजर आता हैं। अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस यह प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 आवंटन के समय नाबालिग था इस कारण उक्त आवंटन विधि विरूद्ध हैं जबकि इस कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसके विपरित अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी के आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं जिनके अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि अप्रार्थी सं. 1 बरवक्त आवंटन बालिग था। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो न्यायिक निर्णय नजीर 2014(1) आरआरटी 366 एवं अन्य नजीरें प्रस्तुत की गई हैं वह नाबालिग के आवंटन के संबंध में हैं जबकि प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं। इसके अलावा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आलौच्य आवंटन में किसी प्रकार की कपट प्रवंचना की गई हों, उसे भी प्रार्थी साबित करने में पूर्णतया विफल रहा हैं। इसके अलावा हमने न्यायिक निर्णय नजीर आरआरटी 2016–17(सप्ली.) पेज 304 एवं आरआरटी 2007(2) पेज 1430 का भी अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय नजीर के पद सं. 7 में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि–

"माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय एआईआर 1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हो तो भी इतनी लम्बी अवधि के आवंटन को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ है। यह मामला बहुत पुराना हैं और इतने पुराने मामले में 40 वर्ष बाद खातेदारी काश्तकार से अधिक भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये बिना वापस लेने का निर्णय बहुत कठोर निर्णय होगा।''

मननीय राजस्व मण्डल द्वारा उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त का आलम्ब लेते हुए जो निर्धारित किया गया हैं वह हस्तगत प्रकरण में भी लागू होता हैं तथा प्रार्थी द्वारा आलौच्य आवंटन आदेश को करीब 52 वर्ष बाद चुनौती दी है जो अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद अब निरस्त किया जाना न्यायसंगत नही हैं। इसके अलावा प्रार्थी इस आवंटन से किस प्रकार हितबद्ध पक्षकार हैं इसका कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया हैं। इस प्रकार लगभग 52 वर्ष पूर्व आवंटन हुआ है जिसे अब इतने लम्बे अंतराल के बाद जब उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है, निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। लिहाजा उभय पक्षकारान की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन उपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सरहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता हैं। तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रार्थी के आवेदन–पत्र में जैसाकि उल्लेख किया गया हैं कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आलौच्य आवंटन अन्तर्गत खातेदारी भूमि का व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा हैं तो इस तथ्य की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही अमल लावें तथा की गई कार्यवाही से एक सप्ताह के भीतर अवगत करावें।

7. निर्णय आज दिनांक 01.09.2021 को [illegible] न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:35 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाडमेर